कार्यालय नगर पंचायत, राजगीर (नालंदा)

(नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार)

दूरभाष सं0–06112-255547
फैक्स सं0–06112-255973
Web- www.nprajgir.org
ई –मेल–nagarpanchayatrajgir@gmail.com

पत्रांक....................

दिनांक......... / .... /2018

प्रेषक,

कर्यापालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,राजगीर।

S O-7
289 सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर-1
महालेखाकार बिहार पटना।

विषय :- नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 546/2012-13 की लंवित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2117 दिनांक 13.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसांगिक पत्र के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 546/2012-13 की लवित कडिका का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि लवित कडिकाओं को विलीपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,राजगीर।

ज्ञापांक 1138 दिनांक 15/9/2018.

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक -सह - संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/09/18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत,राजगीर।

कार्यालय नगर पंचायत,राजगीर(नालन्दा)

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 546/2012-13

क्र0 सं0	कण्डिका	अनुपालन प्रतिवेदन
1	2	3
1	**1.प्रस्तावना** राजगीर नगर पंचायत के वर्ष 2011-12 के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 11.12.2012 से 19.12.2012 तक की अवधि में किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
2	प्रशासन	कोई टिप्पणी नहीं।
3	**अंकेक्षण की परिसीमा** अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अंकेक्षण में उपस्थिति नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II में दी गयी है।	-
4	नगर पंचायत, राजगीर में अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाये कण्डिकाओं का विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका की अभीतक कितने प्रतिवेदनों की कितनी कण्डिकायें अनुपालन हेतु लंबित है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाये	सभी लंबित अंकेक्षणों का कंडिकावार अनुपालन कर भेजा गया है।
5	**अधिदृश्य :-** सरकार से प्राप्त अनुदानों नगर पंचायत, राजगीर के स्वयं के स्त्रोतों से आय बहुत ही कम है। कई करने यथा भयावह एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर टिन टिकट, पंजीकरण, मोबाईल टावरों से वसूली इत्यादि अधिरोपण नहीं किया गया है।	खतरनाक व्यवसाय एवं मोबाईल टावर टैक्स वसूली की कार्रवाई की जा रही है। मोबाईल टावर कंपनियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं0-C.W.J.C No.- 8627/09 एवं C.W.J.C No.-0232/14 दायर किये जाने के कारण वसूली धीमी है। वर्ष 2014-15 से ट्रेड लाइसेंस लागू कर दिया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
6	कोषागार एवं अन्य बैंक खाताओं का शेष	कोषागार कार्यालय, बिहारशरीफ के द्वारा पास बुक संधारण किया जाता है। कोषागार से माँग किया गया तो उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2011-12 का लेखा विवरणी कोषागार से प्राप्त है इसका छायाप्रति संलग्न है। अन्य बैंक खाताओं का शेष उपलब्ध है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
7	रोकड़ वही की त्रुटियों	रोकड़ बही की त्रुटियाँ दूर की जा रही है Passbook Treasurty द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

कार्यालय नगर पंचायत, राजगीर(नालन्दा)

महत्वपूर्ण कण्डिकाओं की सूची।

क्र0 सं0	कण्डिका सं0- 08	विवरण	उत्तर
1	*2*	*3*	*4*
1	9	बजट प्राक्कलन (रू0 15.91/- करने)	
2	14	13वें वित्त आयोग का गलत उपयोगिता भेजना-	पत्रांक- 1127, दिनांक 23.11.2013 से सुधार कर भेज दिया गया है।
3	16(ii) & (iii)	जलकर एवं महत्वपूर्ण करों का अधिरोपन-	पूर्व में P.H.E.D राजगीर द्वारा तथा वर्त्तमान में नगर पंचायत, राजगीर द्वारा जलकर की वसूली की जा रही है। वर्ष 2008-09 से 2% जलकर सहित होल्डिंग कर 9% की दर से सभी भवनों पर आरोपण कर होल्डिंग की माँग की जा रही है। जिसके लिए कार्यालय द्वारा नोटिस पत्रांक- 186 से 208 तक दिनांक 26.02.2014 तथा पत्रांक- 319 से 348 तक दिनांक 13.03.2014 निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4	16(v) & (vi)	वीरायतन एवं इण्डो होक्के होटल पर बकाया-	नोटिस दिया गया है तथा इण्डो होक्के होटल द्वारा इसके अंश भाग (154942.00) का भुगतान वर्ष 2013-14 में किया गया है। (छायाप्रति-संलग्न)
5	18 (ii)	सैरातों की बन्दोवस्ती में राजस्व हानि (39,437/-)-	सभी सैरातों की बन्दोवस्ती प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। कुछ सैरात की बंदोवस्ती मात्र मलमास मेला के दौरान हीं हो पाता है।
6	19	मोबाईल टावर पर बकाया राशि (10.82/- लाख)-	नोटिस दिया गया है। वर्ष 2013-14 में इनके द्वारा भुगतान अंशतः किया गया है। वोडाफोन, रिलायन्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C याचिका दायर किये जाने के कारण वसूली लंबित है।
7	20 (i)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अन्तर्गत योजनाओं का चयन नहीं-	वार्षिक कार्य योजना के तहत कार्यान्यवन कराया गया।
8	20 (ii)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से 1,96,05,400/-	B.R.G.F. राशि का विचलन नहीं किया गया है। लेखा संधारण में त्रुटि हुई है। जिसके लिए प्र0 प्र0 सहायक, श्री गिरेन्द्र कुमार जिम्मेवार है। उक्त निधि का विचलन किसी तरह का नहीं हुआ है।
9	21 (i)	संवेदकों से विलम्ब क्रियान्वयन के लिये क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं 11,58,541/-	कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के द्वारा मापी पुस्त पर अंकित राशि के अनुसार भुगतान किया गया है। इसके लिए बोड में रखा जायेगा।
10	21 (ii)	योजनाओं पर भुगतान में श्रम से की कटौती नहीं-	श्रमउपकर की कटौती किया जा रहा है।
11	22	बोर्ड से बिना परित रू0 6.59/- लाख का डस्टबीन क्रय राशि 6,29,842/-	जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार किया गया है।
12	23	सी0एफ0एल0 क्रय में अनियमितता राशि 4,50,000/-	नियमानुसार निविदा द्वारा क्रय की गयी है और क्रय में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

कार्यालय नगर पंचायत,राजगीर(नालन्दा)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	*2*	*3*
9	बजट प्राक्कलन	1. अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण बैठक नहीं हो सकी। अंतरिम बजट सशक्त स्थायी समिति से पारित है। अब समय पर किया जा रहा है। 2. कार्यालय कार्यो एवं सफाई कार्य कर्मचारियों का वेतन अनिवार्य है यदि सामग्री एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ तो कार्य ठप हो जायेगा। राजगीर एक पर्यटक स्थल है। सफाई कार्य अनिवार्य है।
10	वार्षिक लेखा का संधारण नहीं	इस नगर निकाय में पूर्व से वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया है। वार्षिक लेखा संधारण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पूर्व के Audit में दिखा दिया जा चुका है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
11	अनुदान पंजी	अनुदान पंजी तैयार है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
12	ऋण दायित्व से संबंधित पंजी का संधारण नहीं	नगर पंचायत, राजगीर में जबसे कायम हुआ है। कोई भी ऋण संबंधी पंजी नहीं है। ऋण दायित्व से संबंधित पंजी तैयार कर लिया गया है। अगले Audit में दिखा दिया जायेगा। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
13	ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम हेतु अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त करना	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना को बराबर पत्रचार किया जा रहा है। नगर पंचायत, राजगीर को प्राप्त होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। बुडको से उपयोगिता की माँग हेतु कार्यालय के पत्र सं0- 1112, दिनांक 16.11.2013 से भेजा गया है। BUIDCO द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
14	13वें वित्त आयोग का गलत उपयोगिता भेजना	सुधार कर पुनः उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है। पत्रांक- 1112, दिनांक 06.01.2013. उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
15	बैरियर लेखा (टाल टैक्स वसूली) लेखा	बैरियर पास बुक में संविदा कर्मचारी का वेतन की राशि, पेंशन, भविष्य निधि, विविध की राशि डाली जाती है और उसे चेक के द्वारा भी कर्मियों को भुगतान की जाती है। सभी कर्मियों को अलग खाता खुलवा लिया जायेगा। बैरियर की बंदोवस्ती नहीं की जाती है। जिसे पी0एल0ए0 एकाउण्ट में रखी जाय। C.A से इसका Audit करा कर भेजा जायेगा।
16 (i)	करारोपन	स्व कर निर्धारण एवं जमा करने की ऑन लाईन प्रक्रिया दिनांक 01.04.2013 से यहाँ जारी है। लगभग 750 होल्डिंग नये भवन का किया गया है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(ii)	जलकर का अधिरोपन	जलकर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(8) कर अनुसार वसूली की जा रही है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(iii)	महत्वपूर्ण करो का करारोपन नहीं	वर्ष 2013-14 से लगभग सभी महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण प्रारम्भ हो चुका है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(iv)	भवन कर की नगण्य वसूली	भवन कर वर्ष 2007-08 की बसूली की जा रही है। भवन कर को ऑन लाइन कर दिया गया है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

(v)	वीरायतन पर कर बकाया रू0 23.71/-	वीरायतन पर कर बकाया रू0 23.71/- लाख की मॉग नोटिस तामिला कराया गया है। वसूली की कार्रवाई की जा रही है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है। अभीतक राशि जमा नहीं की गयी है। उनके विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
(vi)	इण्डो होक्के होटल पर करों का बकाया वर्ष 2011-12 तक कुल रू01356228/ (866228+490000) मकान कर शिक्षा शेष एवं स्वास्थ्य शेष के रूप में बकाया	इण्डों होक्के होटल बकाया के लिये नोटिस भेजी गयी तथा इसके आलोक में उनके द्वारा 154942/- रूपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
17	होल्डिंग टैक्स वसूली गयी राशि विलम्ब से जमा करना	4% प्रतिशत कर संग्रहकर्त्ता द्वारा समय पर जमा किया जा रहा है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
18 (i)	सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं	श्रावणी मेला की बन्दोवस्ती श्रावण मास के समय में मात्र के एक माह के लिये होता है। अंकेक्षण दल के पास सभी संचिका प्रस्तुत किया गया था। क्रमांक 01 से 06 तक शौचालय जीर्ण–शीर्ण रहने के कारण कोई लेने को तैयार नहीं होता है। जहाँ तक मरम्मती की बात है शौचालय से आवंटन प्राप्त होने पर मरम्मति करा लिया जायेगा। कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता के नहीं रहने के कारण कार्य में बाधा होती है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(ii)	बंदोवस्ती में रू0 39437/- के मुद्रांक शुल्क राजस्व की हानि	1. संजीव कुमार पार्किंग निबंधन शुल्क M.R No. 15/104 दिनांक 30.03.2011 से कार्यालय में जमा किया जा चुका है। 2. 24750/- क्रमांक 2,3,4,5,6,7 किया गया है। 3. श्रावणी मेला निबंधन शुल्क M.R No. 54/113 दिनांक 08.07.2011से कार्यालय में जमा है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
19	मोबाईल टावरों पर बकाया 11.82 लाख	मोबाईल टावर एवं संग्रहण पंजी का संधारण कर लिया गया है। मॉग पत्र नोटिस पूर्व में जारी अशोक कुमार प्रसाद के द्वारा की गयी है। पुनः नोटिस जारी किया गया है। मोबाईल टावरों की राशि जमा किया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
20 (i)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पिछड़ा क्षेत्र अनुदानों का क्रियान्वित जिला परिषद से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के तहत की जाती है। योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(ii)	,,	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि का जिला परिषद अंकेक्षण की प्रति संलग्न है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(iii)	12वें वित्त	12वें वित्त प्रभारी प्रधान सहायक, गिरेन्द्र कुमार के द्वारा गलती की गयी।
21(i)	संवेदकों से विलम्ब क्रियान्वयन के लिये क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं	कनीय अभियंता (सहायक अभियंता) जिससे संबंधित राशि का मापी पुस्त के अनुसार भुगतान की जाती है। मॉपी पुस्त पर अंकित है कि इनका कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो गया। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
(ii)	संवेदक के विपत्र से रू0 1402/- का आयकर की कम कटौती	S.D अथवा सुरक्षित जमा राशि से आयकर की राशि 1402/- कटौती कर ली जायेगी। नोटिस निर्गत किया गया।

(iii)	श्रम उपकर की कटौती नहीं	अब श्रम शेष की कटौती की जा रही है। इस संबंध में नगर पंचायत, राजगीर को पूर्व में कोई आदेश प्राप्त नहीं था। श्रम उपकर के बकाया का माँग किया गया है।
(iv)	योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवक्ता प्रमाण पत्र नहीं	कार्यालय नगर पंचायत, राजगीर को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। आगे कार्य किया जायेगा इसे भविष्य में करा लेने के बाद भुगतान किया जायेगा। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
22	बोर्ड से बिना पारित किये रू0 659/- लाख का डस्टवीन क्रय	दिनांक 14.12.2011 को अनुमण्डलीय सभा कक्ष में राजगीर महोत्सव 2011 के विशेष बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर की अध्यक्षता में नगर पंचायत क्षेत्र के विशेष साफ-सफाई व्यवस्था हेतु आयोजित बैठक में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद तथा सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे एवं प्रस्ताव सं0- 02 में सर्वसम्मति सं0- 06 कुड़ेदान आने के पश्चात उसका स्थान चिन्हित कर उक्त कुड़ेदान में कुड़ा डालेंगे। इस प्रकार नगर पंचायत, राजगीर के गणमान्य लोग भी बैठक में शामिल थे। डस्टबीन का अधिस्थापन स्टोर कीपर उपेन्द्र सिंह द्वारा की गयी। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
23	सी0एफ0एल0 क्रय में अनियमितता रू0 450000/-	शिवा इन्टर प्राईवेट, राजगीर, नालन्दा को 4,50,000/- रूपये का भुगतान 13वाँ वित्त मद से दिया गया है। सी0एफ0एल0 बल्ब लगाने में भंडारपाल एवं विद्युत मिस्त्री के द्वारा लगाया गया है। सभी वार्ड पार्षद के द्वारा स्थल पर लगाने की सूची दी गयी तदनुसार एवं विद्युत मिस्त्री गणपत यादव के द्वारा लगाया गया सूची कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया। वार्ड पार्षद के द्वारा लगाने के लिये सूची प्राप्त कर ली गयी है (छायाप्रति संलग्न)। CFL लाईट का Pipe Angle नहीं उपलब्ध होने के कारण इसे लगाने में विलम्ब हुआ। बोर्ड के संज्ञान में CFL लाईट लगाया गया। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
24	भंडार पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं	भंडारपाल श्री उपेन्द्र सिंह के प्रभार में है। कर्मचारियों के कर्मी के चलते दिया गया है, जो भी सामग्री क्रय की जाती है। भंडारपाल को जिम्मा दे दिया जाता है। प्रवृष्टि करा ली गयी है (छायाप्रति संलग्न)। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
25	नगर कर्मियों के वेतन में मँहगाई भत्ता मर्जर	बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प सं0-3A3 भत्ता 01/2009-453 दिनांक 17.01.2011 (छायाप्रति संलग्न) क्रमांक 4(क) में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू पूनरीक्षित वेतनमान (सम्पत्ति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मँहगाई भत्ता राशि को मँहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मँहगाई भत्ता राहत की दर 127% से बढ़ाकर 139% करने का निर्णय संकल्प सं0- 6570, दिनांक 21.06.2012 से है। संकल्प का फोटो कॉपी संलग्न है। नगर निगम के पत्रांक-2545, दिनांक 15.10.2011 संलग्न। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
26	श्री गिरेन्द्र कुमार (कोषपाल -सह- प्रधान सहायक) की वेतन भुगतान	वेतनमान जाँच हेतु सेवा पुस्त उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वे सेवा पुस्त अभी तक अपने पास रखे है। कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न। जिला

		लेखा पदाधिकारी एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी सेवा पुस्त जाँच करने से लौटा दिया गया। सेवा पुस्त की जाँच किसके द्वारा किया जायेगा इसका निर्धारण सर्वप्रथम कराया जाय। नगर पंचायत में कुव्यवस्था के लिए वे ही दोषी रहे है।
27	स्वीकृत बल के विरुद्ध बहुत ही कम कार्यरत बल	सरकार के ज्ञापांक- 663, दिनांक 03.02.1981 के द्वारा नियुक्ति पर रोक गयी है। विभाग द्वारा अबतक कोई कर्मी उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभाग से कुशल कर्मियों की माँग की गयी है। (क्रमांक- 11) उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
28	परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं	परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जा रहा है।
29	नगर पंचायत में गाड़ियों की विवरणी	1. दो ट्रैक्टर इंजन का पंजीकरण हो चुका है एवं बीमा करा ली गयी है। प्र0प्र0स0 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि संचिका कार्यालय में उपलब्ध था। अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। 2. गाड़ियों का ट्रैक्टर ड्राईवर द्वारा लॉग बुक संधारण बराबर किया जाता है। नगर पंचायत में वर्त्तमान में कोई जेनेरेटर नहीं है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
30	विद्युत विपत्र 229-28 लाख का भुगतान नहीं	सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर विद्युत के लिये जो राशि होता है उसे भुगतान किया गया है। उक्त अवधि में D.P.S जोड़ कर विपत्र दिये जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया। D.P.S हटाये जाने के उपरांत अबतक 39 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा होल्डिंग टैक्स 13.5 लाख रू0 विद्युत विभाग पर बकाया है जिसे समायोजन विद्युत विपत्र में करने हेतु विद्युत विभाग को लिखा गया है। 16/- रू0 प्रति यूनिट के दर से विद्युत विपत्र नगर पंचायत, राजगीर को भेजा गया है। जिसके संबंध में विभाग को एवं विद्युत विभाग को सूचित किया गया है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
31	नगर पंचायत बोर्ड का बैठक नियमानुकूल नहीं	प्रत्येक माह बैठक होती है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
32	पत्र प्राप्ति (आगत पंजी)	आगत पंजी का अब संधारण कर लिया गया है। अतः उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।
33	कार्यालय से वार्त्तालाप	-
34	लेखा परीक्षा परिणय	-
35	सामान्य अभ्युक्ति	कार्य सक्षम कर्मचारी उपलब्ध हो जाने पर कार्यालय कार्य में सुधार कर लिया जायेगा। दक्ष सरकारी कर्मी की नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्य सुचारू रूप से होना असंभव है। उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

25.06.18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत,राजगीर।

20/6/18